<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा जिला झालावाड (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश - **अश्विनी शर्मा,** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आप.वि.जमानत आवेदन सं.264/2023

<u>CIS No</u>.264/2023, <u>CNR No.RJJW</u>070005512023

रईस खान पुत्र इमरत खां, आयु 30 वर्ष, निवासी-कलमोदिया, थाना-सारथल, जिला-बारां (राज.) **---प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राजस्थान राज्य.....**अप्रार्थी/अभियोगी**

प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं.
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.268/2023, पुलिस थाना-अकलेरा
अपराध अंतर्गत धारा 399, 402 भा.द.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

<u>उपस्थितः-</u>

1- श्री भोजराज पारेता, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2- विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांकः-03.08.2023**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रथम प्रार्थना-पत्र द.प्र.सं. की धारा 439 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई जाकर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.05.2023 को श्री लक्ष्मीचंद वर्मा, पु.नि. थानाधिकारी मय जाप्ता दौराने गश्त मुखबिर की इत्तला के आधार पर सांकतिक स्थान शिव मंदिर मैला मैदान हरनावदा रोड़ अकलेरा से पहले 200 मीटर दूर पहुँचे एवं जीप रोककर स्वतंत्र गवाहान को तलाश किया तथा नहीं मिलने पर जाप्ते में से गवाह मामूर कर सांकेतिक स्थान पर दबे पाँव पहुँचे, जहाँ शिव मंदिर की दीवार के पास जाकर कान लगाकर सुना, तो एक बदमाश को यह कहते हुए सुना कि अभी जो भी वाहन आएगा, हम पाँचों को एक साथ मय हथियार के उस वाहन पर धावा बोलकर ड्राईवर व उसके साथ जो भी होगा, उनको कब्जे में करना है और मारपीट कर उनके पास जो भी रुपये-पैसे हैं, उनको लूटकर पीछे झाड़ियों में होकर भाग निकलेंगे। इस पर जाप्ता द्वारा घेरा देकर पकड़ने का इशारा कर मंदिर के अंदर हथियारबंद बैठे पाँचों बदमाशों को राउण्डअप किया जाकर यथास्थिति बनाए रखने की हिदायत दी। इसी दरम्यान एक बदमाश चकमा देकर भाग गया। हथियार सहित पकड़े गए व्यक्तियों से एक-एक कर नाम, पता पूछने पर पहले व्यक्ति ने अपना नाम रईस खान बताया, जिसके दाहिने हाथ में एक कूटिया मिला। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम रूसीराम उर्फ रूसिया बताया, जिसके दाहिने हाथ में एक तलवार लोह की जंग लगी हुई मिली एवं पेन्ट की बांई जेब में एक थैली प्लास्टिक

की मिली, जिसमें लाल मिर्च भरा हुआ था। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम छुट्टन खां बताया, जिसके दाहिने हाथ में एक स्टील पाईप मिला। चौथे व्यक्ति ने अपना नाम मोहनलाल बताया, जिसके दाहिने हाथ में लोहे का सरिया मिला। भागने वाले व्यक्ति का नाम सभी ने एकस्वर में शाबिर खान बताया। उक्त व्यक्तियों से धारदार एवं घातक हथियार रखने बाबत अनुज्ञा-पत्र चाहा, तो नहीं होना बताया। उक्त हथियारों एवं दो मोटरसाईकिलों को बतौर वजह-सबूत जब्त कर, चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, इत्यादि। वापसी पर पुलिस थाना, अकलेरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 268/2023, अंतर्गत धारा 399, 402 भा.द.सं. व धारा 4/25 आयुध अधिनियम दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अभियुक्तगण को पेश न्यायालय किया, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित किया गया। प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप-पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई डकैती की प्लानिंग नहीं की गई है। प्रार्थी लम्बे समय से अभिरक्षा में चल रहा है तथा आरोप-पत्र भी प्रस्तुत हो चुका है। अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना है। प्रार्थी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रकरणों में प्रार्थी दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। बाद जमानत प्रार्थी के भागने, फरार होने या शहादत बिगाड़ने का अंदेशा नहीं है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों की पालना करने को तैयार है। अंत में जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

4- विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का पुरजोर विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गम्भीर प्रकृति के अपराध के आरोप हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

5- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ-जयपुर के न्यायिक निर्णय जुगल किशोर बनाम राजस्थान राज्य, 2020(4) आर.एल.डब्ल्यू. 3386 के अनुसरण में केस डायरी में संलग्न प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकार्ड निम्नलिखित हैः-

क्र.सं.	मुकदमा नंबर	धारा	नतीजा सीएस
01	26/2016	143,353,382 भा.द.सं.	35/16.03.2016
02	29/2017	4/25 आर्म्स एक्ट	13/20.02.2017
03	04/2014	4/25 आर्म्स एक्ट	04/26.01.2014
04	15/2014	498 एए 406 भा.द.सं.	14/20.03.2014

6- सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7- पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि पुलिस द्वारा बाद अन्वेषण प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 399, 402 भा.द.सं. व धारा 4/25 आयुध अधिनियम का अपराध प्रथमदृष्टया प्रमाणित मानते हुए आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। यद्यपि विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त पूर्ववर्ती प्रकरणों में प्रार्थी को दोषमुक्त घोषित कर दिया जाना बतलाया गया है, परंतु इस संबंध में निर्णय की कोई प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं, तथापि उक्त पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड में लम्बित प्रकरण वर्ष-2014, 20116 व 2017 के दर्शाए गए हैं। वर्ष-2017 के पश्चात प्रार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी दिनांक 11.05.2023 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोप-पत्र प्रस्तुत हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किए बिना, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8- अतः प्रार्थी/अभियुक्त **रईस खान** पुत्र इमरत खां, आयु 30 वर्ष, निवासी-कलमोदिया, थाना-सारथल, जिला-बारां (राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रथम प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं., **स्वीकार** कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान **अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा** के संतोषप्रद 25,000-25,000/-रुपये की **दो** मौतबिर व्यक्तियों की सुदृढ़ जमानतें व 50,000/-रुपये का स्वयं का बंधपत्र इस शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करा दी जावें कि वह न्यायालय में नियमित रूप से तारीख पेशी पर एवं जब भी न्यायालय द्वारा बुलाया जाएगा उपस्थित होता रहेगा, तो प्रार्थी/अभियुक्त को **पुलिस थाना अकलेरा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. **268/2023** में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

(अश्विनी शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश
अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)

9- आदेश आज दिनांक **03.08.2023** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(अश्विनी शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश
अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में किये गये सभी संशोधनो को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(शकील मोहम्मद)
स्टेनो ग्रेड प्रथम

नोटः यह प्रतिलिपी प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।